न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2019

अपीलान्ट

1. हिरा बानु पुत्री स्व. हासमखांजी पत्नी हनीफखां, उम्र 38 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी खोखा, तहसील बागोडा, जिला –जालोर (राजस्थान)

उत्तरदातागण :–

1. खाजुखां पुत्र हासमखां
2. अकबरखां पुत्र हासमखां जातियान मुसमालन निवासीगण थोब,
3. मरम्मी पुत्री स्व. हासमखां पत्नी सदीक खांजी जाति मुसलमान निवासी घडोरी, तहसील बालोतरा, जिला बाडमेर (राजस्थान) फौत के कायम मुकाम वारिसान

   03/1. युसुफखां पुत्र सदीकखांजी,

   03/2 सत्तारखां पुत्र सदीकखांजी

   03/3 फौजीखां पुत्र सदीकखांजी, तमाम जातियान मुसलमान, निवासीगण घडोई,

   04/4. मैना पुत्री सदीकखांजी पत्नी अब्दुलाखां जाति मुसलमान, निवासी देवन्दी तहसील रोहिट जिला पाली राजस्थान।
4. ननीजी पुत्री स्व. हासमखां पत्नी शकुरखांजी जाति मुसलमान निवासी जोगापुरा हाल थोंब, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राजस्थान)
5. ग्राम पंचायत थोब जरिए सरपंच ग्राम पंचायत थोब, पंचायत समिति बालोतरा तहसील पचपदरा जिला जालोर (राजस्थान)
6. हल्का पटवारी पटवार मण्डल थोब, तहसील पचपदरा बाडमेर

नामान्तरकरण अपील विरूद्व मौजा रामनगर के नामान्तरकरण संख्या 45 स्वीकृत दिनांक 18/05/2009 द्वारा ग्राम पंचायत थोब

उपस्थिति:– 1. श्री उम्मेद सिंह वकील अपीलान्ट
2.सम्पतसिंह खारवाल वकील उत्तरदाता

निर्णय   दिनांक :– 09.03.2021

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 04 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03/1 से 03/4 के नाना स्व. हासमखां पुत्र मालेखांजी, जाति मुसलमान निवासी थोब, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम रामनगर, पटवार हल्का थोब, तहसील पचपदरा के खसरा नं. 583/1 रकबा 25 बीघा, ख0स0 589/151 रकबा 20.08 बीघा कुल रकबा 45.08 बीघा के रूप में स्थित है। उपरोक्त आरजी में स्व0 श्री हासमखांजी को सम्पूर्ण हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। स्व0 श्री हासमखांजी की मृत्यु दिनांक 24.04.2006 को हो जाने पर उनको उत्तराधिकार में प्राप्त आराजी में उनका हिस्सा उनकी व्यक्तिक विधि के अनुसार स्व0 श्री हासमखांजी के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 व पुत्रीयां अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की माता सईदा बानु को प्राप्त हो गए। परन्तु स्व0 श्री हासमखांजी की उक्त आराजी को उनके वारिसों के नाम दर्ज करने के नामान्तरकरण संख्या 45 खोला

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया जिसमें द्वारा अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 श्रीमती सईदो बानु एवं मुनेख्या का नाम ही हासनखांजी के उत्तराधिकारियों के रूप में दर्ज किया गया। स्व श्री हासनखांजी की उनकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार उत्तराधिकारियों उनकी पुत्रियों के नाम राजस्व अभिलेख में नाम इन्द्राज करवाने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट की अपील को म्याद के बिन्दु पर सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट 1 के वकील उपस्थित। दीगर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 को सम्मन रजि.एडी से भिजवाये गये, रजिस्टर्ड एडी सम्मन भिजवाने व बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनको तामील की तारीख में मानते हुए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या -1 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली का महनत से अवलोकन किया गया। अपील के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069-2072, नामान्तरकरण संख्या 45 की प्रमाणित प्रतियों का अध्ययन किया गया है। बाद अवलोकन समुची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभावी देरी मानते हुए क्षमा योग्य है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश प्रार्थीनी को बिना सुने पारित किया गया है, लिहाजा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील को म्याद में शुमार किया जाता है।

हिरा बानु पुत्री के पिता हासन खा की फौतगी पर होने पर नामान्तरकरण संख्या 45 ग्राम रामनगर, पटवार हल्का थोब, तहसील पचपदरा के खसरा न0 583/151 रकबा 25 बीघा, ख0सं0 589/151 रकबा 20.08 बीघा कुल रकबा 45.08 बीघा की कृषि भूमि में नामान्तरकरण दर्ज किया गया था जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। स्व. हासनखांजी की फौतगी पर नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उत्तरदाता संख्या 06 को स्व. हासनखांजी के विधिक वारिसान की जांच की जानी आवश्यक थी, उत्तरदाता संख्या 06 को स्व. हासनखांजी के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मौजा रामनगर के नामान्तरकरण संख्या 45 ग्राम पचांयत थोब के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त करने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा रामनगर के नामान्तरकरण संख्या 45 ग्राम पचांयत थोब के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्व0 स्व. हासनखांजी के विधिक वारिसान की जांच मुस्लिम विधी के अनुसार कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
S.D.O. बालोतरा

आज दिनांक 09.03.2021 को ... सुनाया जाकर ... किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner